स्पीड–पोस्ट

प्रेषक,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
107, चन्दर नगर, देहरादून।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहराखास पटेलनगर, देहरादून।

दिनांक 15 फरवरी, 2018

पत्रांकः– 7/बजट/ चि0शि0/89/2017–18/5715

विषयः– **वित्तीय वर्ष आय–व्ययक 2017–18 के प्रथम अनुपूरक में राजस्व पक्ष राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या–97/XXVIII(1)/2018-11/(सामान्य)/2017 दिनांक 12 फरवरी, 2018 जिसके माध्यम से वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1362/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 के कम में वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक में अनुदान सं0–12 के राजस्व पक्ष में प्राविधानित बजट में अंकित आवंटित धनराशि **कुल रू0 30,22,73,000.00 (रूपया तीस करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) में से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून हेतु रू0 22,42,16,000.00 (रूपया बाईस करोड़ बयालिस लाख सोलह हजार मात्र)** व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. वचनबद्ध मदों की धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय–भार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो के अन्तर्गत ही रहेगी।

ii. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों के वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

iii. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में व्यय शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जाये।

iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाये।

4/c Mr. D. Deepak Sir,

Scanned by CamScanner

v. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, इनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाये। निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाये और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाये।

vi. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. नियमानुसार श्रोत पर आयकर एवं अन्य करों की कटौती के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

3– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तदक्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के कम में साफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–158/(म0)XXVII(3)/2018 दिनांक 08.02.2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उक्त स्वीकृति कमशः कम्प्यूटर आई0डी0 संख्याः–**H 1802121348** दिनांक **15.02.2018** के अर्न्तगत की जा रही है।

इस पत्र के माध्यम से **कुल रू0 22,42,16,000.00 (रूपया बाईस करोड़ बयालिस लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

संलग्न– (कम्प्यूटरीकृत बजट आवंटन पत्र)

(पी0सी0 खरे)
वित्त नियंत्रक।

पत्रांक –7/बजट/ चि0शि0/89/2017–18 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबरॉय बिल्डिग, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कलैक्ट्रेट परिसर, देहरादून। **(कम्प्यूटरीकृत बजट आवंटन पत्र)**

(पी0सी0 खरे)
वित्त नियंत्रक।

Scanned by CamScanner

बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20172018

Director Medical Education (2645)

आवंटन ~ संख्या - 7-budget/ME/89/2017-18

अलोटमेंट आई डी - H1802121348

अनुदान संख्या - 012

आवंटन पत्र दिनांक -15-Feb-2018

DDO Name - Principal Government Medical College Dehradun (2646) , Treasury - Dehradun (0100)

1: **लेखा शीर्षक** 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य — 05 - चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

04 - मेडिकल कालेज

06 - दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	10000000	0	10000000
02 - मजदूरी	3000000	0	3000000
03 - महंगाई भत्ता	415000	0	415000
04 - यात्रा व्यय	400000	0	400000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200000	0	200000
06 - अन्य भत्ते	484000	0	484000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	2000000	0	2000000
09 - विद्युत देय	8000000	4918000	12918000
10 - जलकर / जल प्रभार	3000000	0	3000000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	2000000	0	2000000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1700000	398000	2098000
13 - टेलीफोन पर व्यय	400000	200000	600000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रो	1500000	200000	1700000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	140000000	140000000	280000000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वा	1000000	0	1000000
18 - प्रकाशन	250000	0	250000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	2000000	0	2000000
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	5000000	0	5000000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	200000	0	200000
25 - लघु निर्माण कार्य	2500000	0	2500000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	40000000	50000000	90000000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500000	0	500000
29 - अनुरक्षण	5000000	1000000	6000000
31 - सामग्री और सम्पूर्ति	12000000	5000000	17000000
39 - औषधि तथा रसायन	20000000	10000000	30000000
41 - भोजन व्यय	2000000	11500000	13500000
42 - अन्य व्यय	5000000	1000000	6000000
44 - प्रशिक्षण व्यय	300000	0	300000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	1500000	0	1500000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	900000	0	900000
	271399000	224216000	495615000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 224216000

Finance Controller
Directorate of Medical Educ...
Uttarakhand. Dehrad...

Scanned by CamScanner